

संख्या- 18 /2026/1/1228012/2026/71-1002(002)/9/2021

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ०प्र०, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के नवनिर्मित कार्यालय, किसान बाजार, गोमतीनगर, लखनऊ में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत लीज लाईन की सुविधा हेतु रु० 7.20 लाख की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/379, दिनांक 12.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के नवनिर्मित कार्यालय, किसान बाजार, गोमतीनगर, लखनऊ में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत लीज लाईन की सुविधा हेतु रु० 7.20 लाख की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद 13-टेलीफोन पर व्यय में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि कुल रु० 7.20 लाख (रु० सात लाख बीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि०शि० का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,20,000 (रुपये सात लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210050010300 निदेशन मानक मद 13 टेलीफोन पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 05-02-2025 14:20:11
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तददिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-71-1002-002-9-2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में रु0 7.20 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210050010300 (निदेशन)	01	3,97,19,000 रुपये तीन करोड़ सत्तानबे लाख उन्नीस हजार मात्र	7,20,000 रुपये सात लाख बीस हजार मात्र	7,20,000 रुपये सात लाख बीस हजार मात्र	7,20,000 रुपये सात लाख बीस हजार मात्र	3,89,99,000 रुपये तीन करोड़ नवासी लाख निन्यानबे हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 7,20,000	₹ 7,20,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210050010300 (निदेशन)	13	2,70,000 (टेलीफोन पर व्यय) रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र	7,20,000 रुपये सात लाख बीस हजार मात्र	7,20,000 रुपये सात लाख बीस हजार मात्र	9,90,000 रुपये नौ लाख नब्बे हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 7,20,000	₹ 7,20,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन हेतु मानक मद 01-वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु7 0.20 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के नवनिर्मित कार्यालय, किसान बाजार, गोमतीनगर, लखनऊ में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत लीज लाईन की सुविधा हेतु शासनादेश दिनांक-26.11.2024 में की गयी बाध्यता / व्यवस्थानुसार जेम पोर्टल से रु0 7.20 लाख के वित्तीय व्यय भार पर सीधे कय किये जाने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद-13-टेलीफोन पर व्यय में रु0 7.20 लाख की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-249-E-3-226-X-2025-26-दिनांक: 20-01-2026

सेवा में,

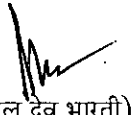
महालेखाकार,

(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,

उ0प्र0, प्रयागराज।



(आनन्द कुमार त्रिपाठी)



(कपिल देव भारती)

संयुक्त उपा सचिव।

उपा सचिव।

संख्या : / , दिनांक- फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
खेपुन सचिवा